(38)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 21/2024 दायरा दिनांक 25.10.2024

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. ममता आयु 24 वर्ष पुत्री फूल्या पत्नी सुग्रीव जाति सहरिया निवासी दोलतपुरा तहसील किशनगंज हाल निवासी रतोधन तहसील मांगरोल जिला बारां राज०
2. उर्मिला बाई आयु 37 वर्ष पुत्री फूल्या पत्नी रामचरण जाति सहरिया निवासी दोलतपुरा तहसील किशनगंज हाल निवासी विजयपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज०
3. बिमला आयु 39 वर्ष पुत्री फूल्या पत्नी मानसिंह जाति सहरिया निवासी पदमपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां राज०।

— अपीलान्टगण

— बनाम—

1. ज्याना बाई पत्नी स्व० श्री फूल्या जाति सहरिया निवासी दोलतपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. रूपा पुत्र श्री फूल्या जाति सहरिया निवासी दोलतपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज०
3. विध्या पुत्री केला/राधेश्याम पत्नी नेकराम जाति सहरिया निवासी कंवरपुरा तहसील किशनगंज हाल निवासी ग्राम बरखेडा तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
4. दुलीस पुत्र केला/राधेश्याम जाति सहरिया निवासी कंवरपुरा तहसील किशनगंज हाल निवासी सेमरदा तहसील व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
5. मीना पुत्री केला/राधेश्याम पत्नी हजारी जाति सहरिया निवासी कंवरपुरा तहसील किशनगंज हाल निवासी रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां राज०
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज जिला बारां राज०

—रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :—

श्री घनश्याम गर्ग :— अभिभाषक, अपीलान्टगण
श्री वैभव गर्ग :— अभिभाषक, रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण कमांक 270 दिनांक 28.12.2000 ग्राम दोलतपुरा ग्राम पंचायत सुवास अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज

निर्णय **दिनांक 11.03.2025**

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 270 दिनांक 28.12.2000 ग्राम दोलतपुरा को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि :–

आराजी वर्तमान खाता संख्या 108 पुराना 122 में वर्णित खसरा नं0 132 रकबा 3.24 हेक्टर वांके ग्राम दोलतपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज० में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एवं इसी प्रकार वर्तमान खाता संख्या 105 पुराना 119 में वर्णित आराजी खसरा नं0 133 रकबा 3.24 हेक्टर वांके ग्राम दौलतपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज० में स्थित है। जो अपीलान्टस व रेस्पो० क्रम 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा आराजियात वर्तमान खाता संख्या 27 पुराना 26 मे वर्णित खसरा नं0 202 रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा नं0 281 रकबा 0.24 हेक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 0.82 हेक्टर वांके ग्राम दोलतपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज० में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 3/8 राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। जो पूर्व मे अपीलान्टस के पिता व रेस्पो० क्रमांक 1 ता 5 के पति/पिता/नाना श्री फूल्या पुत्र श्री हीरा जाति सहरिया निवासी दोलतपुरा तहसील किशनगंज के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा अपीलान्टस के पिता/पति/नाना की मृत्यु उपरान्त रेस्पो० क्रम 6 तहसीलदार किशनगंज द्वारा इन्तकाल संख्या 270 दिनांक 28.12.2000 दर्ज करते हुए हल्का पटवारी ने विशिष्ट्यो सहित काश्तकार का नाम कॉलम 9 में रूपचन्द्र पुत्र फूल्या ज्याना बेवा, केला, उमा, घूमा पुत्रियां जाति सहरिया सा०देह दर्ज किया था परन्तु रेस्पो० कम 6 द्वारा इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलान्ट क्रम 1 का नाम दर्ज नही किया तथा अपीलान्ट क्रम 2 व 3 का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। इसलिये उक्त इन्तकाल के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है। यह कि आदेश नामान्तरण संख्या 270 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज दिनांक 28.12.2000 कानून, न्याय, एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है ।

2. यह कि रेस्पो० क्रम 6 तहसीलदार किशनगंज द्वारा चुनौती दिये आदेश करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित कार्य किया है।
3. यह कि अपीलान्टस के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

(फूल्या मृतक)

ममता पुत्री	केला पुत्री	उर्मिला पुत्री	विमला बाई पुत्री	ज्याना बाई माता	रूपा पुत्र	विध्या पुत्री	दुलिस पुत्र	मीना पुत्री

4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश नामान्तरण से सम्बधित आराजी वांके ग्राम दौलतपुरा का इन्तकाल खोलते समय मृतक फूल्या पुत्र श्री हीरा जाति सहरिया निवासी दोलतपुरा के वारिसान का ना तो सजरा बनाया गया है और ना ही वारिसान सम्बधित सही प्रकार से जांच की गई है और नाही अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही काश्तकार का नाम दर्ज करते समय अपीलान्ट क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना करते हुये एवं अपीलान्ट क्रम 2 का नाम उर्मिला पुत्री फूल्या जाति सहरिया निवासी सा० देह के स्थान पर उमा पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा० देह एवं इसी प्रकार अपीलान्ट क्रम 3 का नाम विमलाबाई पुत्री फूल्या जाति सहरिया निवासी सा० देह के स्थान घूमी पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा० देह गलत दर्ज कर कानूनी भूल की है इसलिये नामान्तकरण संख्या 270 दिनांक 28.12.2000 को निरस्त किया जाना व अपील की मद नं० 1 के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम ममता पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा० देह राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना एवं अपीलान्ट क्रम 2 का नाम उमा पुत्री फूल्या जाति

(40)

सहरिया सा० देह के स्थान उर्मिला पुत्री फूल्या जाति सहरिया निवासी सा० देह व अपीलान्ट क्रम 3 का नाम घूमी पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा० देह के स्थान विमला बाई पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा० देह राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा।

यह कि खातेदार केला की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उसके वारिसान रेस्पो० क्रम 3 ता 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट्स के पिता फूल्या का स्वर्गवास हो चुका है। इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलान्टक्रम 1 का नाम दर्ज नहीं किया तथा अपीलान्ट क्रम 2 का नाम उर्मिलाबाई के स्थान पर उमा व अपीलान्ट क्रम 3 का नाम बिमलाबाई के स्थान पर धूमी गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का नाम ममता पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा0देह राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना एवं अपीलान्ट क्रम 2 का नाम उमा के स्थान पर उर्मिला व अपीलान्ट क्रम 3 का धूमी के स्थान विमलाबाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना विधीसंगत होगा।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बताया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम ममता पुत्री फूल्या जाति सहरिया सा0देह राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना एवं अपीलान्ट क्रम 2 का नाम उमा के स्थान पर उर्मिला व अपीलान्ट क्रम 3 का धूमी के स्थान विमलाबाई वास्तविक नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम दोलतपुरा का इंतकाल नं. 270 दिनांक 28.12.2000 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्टगण के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 270 निर्णय दिनांक 28.12.2000 की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)